कार्यालय वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर

फॉरेस्ट केम्पस.नवरतनबाग. इन्दौर. म प्र – 452001

Tel. (O) 0731-2491831 E-mail : cfindore@mp.gov.i

क्रमांक / मा.चि. / 13 / 2678 इन्दौर, दिनांक 15–4–2013

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषयः– वनक्षैत्र में स्थित नालों से सिल्ट निकालना एवं उसका विक्रय ग्राम वन समिति के माध्यम से किये जाने बाबत्।

संदर्भः– वन संरक्षक, वनमंडल इन्दौर का पत्र क्रं./मा.चि./3634 दिनांक 12–4–2013.

उक्त विषय में निवेदन हैं कि वनमंडल–इन्दौर के परिक्षैत्र चोरल के बीट राजपुरा एवं कक्ष क्रमांक 120 में स्थित.बालम नदी पर निर्मित रपटे के कारण लम्बे समय से जल प्रवाह के साथ सिल्ट का जमाव हो चुका हैं, जिससे कि उक्त क्षैत्र में जल का ठहराव बहुत कम हो गया हैं। इसी प्रकार परिक्षैत्र इन्दौर के नाहर झाबुआ बीट के कक्ष क्रमांक–241 में स्थित कनाड़ नदी पर भी सिल्ट के भरने से जल प्रवाह प्रभावित हुआ हैं।

उक्त क्षैत्र के विषय मे वन मंडलाधिकारी, इन्दौर द्वारा सदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) से यह प्रस्ताव दिया गया हैं कि वन समिति के माध्यम से उक्त सिल्ट को निकाला जाकर इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर प्रधानमंत्री ग्राम सडक एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन कार्य में किया जा सकता हैं। सिल्ट के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा में किया जावेगा। नियमानुसार सिल्ट की रायल्टी तथा उसका मूल्य बाजार दर निर्धारित किया जाकर विक्रय करना प्रस्तावित हैं। इस प्रकार से उक्त क्षैत्र में जल भराव बढेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर वन्य प्राणियों को जल प्राप्त होगा एवं जल के क्षैत्र में रूकने से जल का जमीन में रिसाव भी होगा जिससे वनों में इसका फायदा प्राप्त होगा।

उक्त विषय पर मेरे द्वारा माईनिंग अधिकारी, इन्दौर से भी चर्चा की गई तथा वन मंडलाधिकारी, इन्दौर, उप वनमंडलाधिकारी, इन्दौर तथा वन परिक्षैत्राधिकारी, चोरल से भी चर्चा की गई। वर्तमान में राजस्व क्षैत्र मे रेत नीलाम किये जाने के प्रावधान हैं। जिससे रायल्टी 53/–रू. प्रति सी.एम.टी. एवं 2 प्रतिशत टी.डी.एस देय हैं, तथा 500/–प्रति टी.पी. बुक पृथक से क्रेता द्वारा लिया जाता हैं।

स्थानीय स्तर पर चर्चा अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई कि व्यापारी द्वारा मौके पर 300 से 350/– प्रति सी.एम.टी. रेत का विक्रय अन्य लोगों को किया जाता हैं। रेत व्यापारी द्वारा रायल्टी, टी.डी.एस. अन्य खर्चो के कम करने के पश्चात अनुमानित 100/–रू. पर सी.एम.टी. का फायदा होता हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार विक्रय प्रक्रिया वन समिति हेतु निर्धारित की जा सकती हैं:–

2. राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दरें उन क्षेत्रों के लिए लागू नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दरों का 10 गुना तथा अभ्यारण्यों के लिये 5 गुना राशि देय होगी। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य के अंतर्गत गैर वन भूमि के उपयोग के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दरें आसपास के वन क्षेत्रों की दरों के अनुरूप देय होगी।

3. निम्न गतिविधियों को तालिका में दर्शाये अनुसार को नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि से छूट दी गई है–

श्रेणी	दी गई छूट
1. स्कूल 2. अस्पताल 3. बच्चों के खेल का मैदान (अव्यवसायिक) 4. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन 5. ओवर हेड टैंक 6. ग्रामीण तालाब 7. पीने के पानी की 4" व्यास की भूमिगत पाईप लाईन 8. ग्रामीण क्षेत्रों में 2? के.व्ही. विद्युत वितरण लाईन।	1 हेक्टेयर वन भूमि तक की पूरी छूट बशर्ते : (अ) किसी भी वृक्षों की कटाई न हो। (ब) वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध न हो। (स) योजना अव्यवसायिक हो तथा शासन की प्लान व नान प्लान योजनांतर्गत हो। (द) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के बाहर पड़ता हो।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य क्षेत्रो से वैकल्पिक वन भूमि पर ग्रामों का विस्थापन	पूर्ण छूट
वन क्षेत्रो में नदी के तल से बोल्डर्स व सिल्ट का संग्रहण	पूर्ण छूट बशर्ते : (अ) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के बाहर हो। (ब) इस क्षेत्र में कोई भी उत्खनन लीज अनुमोदित/स्वीकृत न हो। (स) बोल्डर्स व सिल्ट संग्रहण/विक्रय का कार्य विभागीय रूप से या शासकीय उपक्रम द्वारा या आर्थिक विकास समिति या संयुक्त वन प्रबंध समिति के द्वारा किया जाना हो। (द) कार्य वन संरक्षण व सुरक्षा के लिये आवश्यक हो। (इ) विक्रय की राशि का उपयोग वन सुरक्षा व संवर्धन के लिये हो।
अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालना	पूर्ण छूट बशर्ते : (अ) किसी भी वृक्ष की कटाई न हो। (ब) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर पड़ता हो।
वर्ष 1980 के पूर्व के अतिक्रमणों का नियमितीकरण व वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करना।	पूर्ण छूट बशर्ते कि ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दि. 18.9.1990 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो।
भूमिगत उत्खनन	एन.पी.व्ही. सम्पूर्ण एरिया का 50 प्रतिशत

रेत विक्रय हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया:-

1 रेत का नीलाम वन समिति द्वारा किया जायेगा।

2. रेत नीलामी की विज्ञप्ति वन मंडलाधिकारी द्वारा की जायेगी

3. नीलामी उप वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में सम्पन्न की जायेगी

4. नीलाम के समय स्थानीय सरपंच भी मौजूद रहेंगे

5. प्रति सी.एम.टी. रेत का मूल्य मौके पर 300 से 350/-रू. पर सी.एम.टी. अपसेट प्राईस रखा जावेगा

6. रायल्टी तथा टी.डी.एस. की राशि पृथक से क्रेता से वसूली जायेगी

7 रेत उत्खनन के दौरान वन क्षैत्र को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहूंचाई जायेगी इस हेतु रेत की अनुमानित मात्रा का आंकलन उप व.मं.अ. (वन) द्वारा किया जावेगा, तथा मौके पर उक्त क्षैत्र सीमांकित किया जावेगा

8. स्टेम्प ड्यूटी क्रेता द्वारा पृथक से दी जावेगी

9. उक्त रेत का उपयोग वन समिति क्षैत्र में ही किया जा सकेगा

10. नीलामी की कार्यवाही के दौरान माईनिंग अधिकारी या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे

11. यदि नीलामी में कोई दर प्राप्त नहीं होती हैं तो माईनिंग अधिकारी से प्रति सी.एम.टी. स्थल वेल्यू जिसका कि माईनिंग अधिकारी द्वारा निर्धारण किया जावेगा, के आधार पर टी.पी. जारी करने हेतु वन समिति को अधिकृत किया जावेगा, एवं इसका उपयोग वन समिति क्षैत्र में ही किया जावेगा।

उक्त आशय के प्रावधान म.प्र.शासन, वन विभाग के आदेश क्रं./एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12-9-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दु क्रं.3 में एन.पी.वी. की छूट के संदर्भ में एक व्यवस्था दी गई है। वनमंडलाधिकारी इन्दौर से उक्त कक्षों के अंतर्गत नदीयों में सिल्ट जमाव् संबंधी प्राप्त स्थल फोटोग्राफ/मेप (1:15000) एवं ग्राम वन समिति के ठहराव प्रस्ताव संलग्न हैं। कृपया उक्त विषय में आवश्यक निर्देश/मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- प्रस्ताव/फोटोग्राफ/मेप आदि

मुख्य वन संरक्षक,
(क्षै.) इंदौर वृत्त, इंदौर

पृ.क्रं./ना.चि./13/2679 इंदौर, दिनांक 15-4-2013

प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना) म.प्र. भोपाल की ओर सुचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र. भोपाल की ओर सुचनार्थ अग्रेषित।
3. वन संरक्षक, वनमंडल इन्दौर क्षैत्रीय की ओर सुचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
(क्षै.) इंदौर वृत्त, इंदौर